न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 314/2012 दायरा दिनांक : 19.10.2012

उनवान

गिरराज आत्मज किशन आयु 48 साल, जाति कुल्मी, निवासी दित्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झालरापाटन

2– रघुनाथ आत्मज गोरधन लाल लश्करी, निवासी दित्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेश पाटीदार अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना नायब तहसीलदार अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.10.2012 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ जिससे वाद सं 503/दावा/2010 वास्ते धारा 175–177 राज.टी.एक्ट दावा वादी स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी नं. 2 का काउंटर क्लेम खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 13.02.2023**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

1 अप्रार्थी रघुनाथ ने ना तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) का कोई उल्लंघन किया है और ना ही भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (अ) का ही कोई उल्लंघन किया है। सत्यता यह है कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 516/17 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दीत्याखेडी, तहसील झालरापाटन के सन्दर्भ में गिर्राज पाटीदार, निवासी दीत्याखेडी ने अपने साधन सम्पन्न होने का एवं राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने का फायदा उठाकर फर्जी एवं कूटरचित व शून्य विक्रय विलेख तैयार किया एवं फर्जी तरीके से उसका पंजीयन करवा लिया तथा इस आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को ही भ्रमित करके एव मिस रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर दिनांक 29.10.2002 को उक्त आराजी को अपने खाते में दर्ज करवाने तथा अप्रार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की डिक्री अवैध रूप से प्राप्त कर ली।

2 प्रार्थी रघुनाथ गरीब एवं चमार जाति का सदस्य है, साधनहीन व्यक्ति है। कानूनी पेचीदीगियों को नहीं समझता है। गिर्राज पाटीदार ने अप्रार्थी की इसी कमी का फायदा उठाकर फर्जी बयनामा तैयार करवाया। जबकि अप्रार्थी ने गिर्राज पाटीदार को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

कभी विवादित भूमि विकय नहीं की। लेकिन गिर्राज पाटीदार ने जबरदस्ती अप्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर लिया।

3 अप्रार्थी को जैसे ही गिर्राज पाटीदार द्वारा की गई जालसाजी का पता चला उसने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड को प्रार्थना पत्र देकर गिर्राज पाटीदार से कब्जा वापस अप्रार्थी को दिलवाने का निवेदन किया। लेकिन इस आवेदन पर गिर्राज पाटीदार ने अपने प्रभाव एवं दबाव से कोई कार्यवाही नहीं होने दी।

4 इसके बाद गिर्राज पाटीदार ने माननीय न्यायालय में झूठा वाद पेश कर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी से डिक्री प्राप्त कर ली। जबकि यह विचारणीय है कि जिस फर्जी बयनामे के आधार पर यह वाद पेश किया गया वह दिनांक 08.07. 1975 का है एवं इसके बाद 22 सालों तक गिर्राज पाटीदार चुप व खामोश क्यों रहा ? फर्जी विकय नामे पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी ने इस बाबत पुलिस में भी कार्यवाही की लेकिन पुलिस ने भी गिर्राज पाटीदार के दबाव व प्रभाव में आकर एफ0 आर0 लगा दी। अप्रार्थी ने अपने पार्ट पर जैसे ही उसे फर्जी बयनामे की जानकारी हुई है पूरी तरह से हर न्यायालय में अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है, लेकिन गिर्राज पाटीदार के प्रभावशाली एवं साधन सम्पन्न होने के कारण एवं अप्रार्थी के गरीब होने के कारण उसकी किसी स्टेज पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

5 इस प्रकार स्पष्ट है कि ना तो अप्रार्थी ने गिर्राज पाटीदार को अपनी कृषि आराजी विकय की और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी व भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 अ का उल्लंघन किया। बल्कि गिर्राज पाटीदार , निवासी दीत्याखेडी ने अपने प्रभाव व

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

दबाव का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर उसके आधार पर प्रार्थी की उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया है एवं वर्तमान में आराजी पर कब्जा भी गिर्राज पाटीदार का है।

6 इस प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहब झालावाड के यहां पर धारा 82 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2002 के सम्बन्ध में रेफरेन्स पेश कर दिया है जो माननीय न्यायालय ए.डी.एम. साहब झालावाड के यहां लम्बित है जिसका उनवान सरकार बनाम गिर्राज व रघुनाथ है।

7 प्रकरण संख्या 6/2006 है एवं तारीख पेशी 07.04.2007 है। इस प्रकरण में सरकार द्वारा सम्पूर्ण जां करवायी गई है, जिसकी पत्रावली उक्त रेफरेन्स में शामिल है। जबकि उक्त रेफरेन्स लम्बित है। माननीय न्यायालय को अपने ही न्यायालय में चले राजस्व प्रकरण में अपने ही द्वारा पारित निर्णय के विपरीत उक्त कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस विवाद का जो भी निर्णय होगा वह माननीय न्यायालय ए0डी0एम0 झालावाड के यहां लम्बित रेफरेन्स में होगा। माननीय न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है एवं खारिज होने योग्य है।

8 अतः जवाब पेश कर अप्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध लम्बित उक्त नोटिस की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

9 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि – ग्राम दित्याखेडी, तहसील झालरापाटन की जमाबंदी संवत 2056–2059 की आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 3.14 बीघा भूमि रूघनाथ आत्मज

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

गोरधन चमार, निवासी दित्याखेडी की गैर खातेदारी में दर्ज है जिसका साबिक खसरा नम्बर 516/517 रकबा 5.00 बीघा है। जिसको उसने जरिये रजिस्ट्री केता गिर्राज आत्मज किशन, जाति कुल्मी निवासी दित्याखेडी को बेचान कर कब्जा आराजी संभला दिया है। इस प्रकार रघुनाथ प्रतिवादी कम 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन किया। इसलिए विवादग्रस्त भूमि को सिवायचक खाता सरकार में दर्ज फरमाई जावे।

10 दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी प्रतिवादी ने जवाब इंकारी पेश किया कि अप्रार्थी अनुसूचित जाति चमार जाति का व्यक्ति है, इसका फायदा उठाकर गिर्राज पाटीदार ने फर्जी बयनामा तैयार करवाकर आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया । जब इस जालसाजी का उसे पता चला तो उसने श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र बाबत वापस लेने कब्जे का दिया कि प्रार्थना प्रार्थी ने धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्घन नहीं किया है।

11 प्रार्थी गिर्राज आत्मज किशन, जाति कुल्मी, निवासी दित्याखेडी ने एक प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी व 151 सी पी सी के अन्तर्गत पेश कर वास्ते बनाये जाने पक्षकार पेश किया। दिनांक 08.06.2009 को प्रार्थी गिर्राज को सुनकर उसको पक्षकार बनाया जाकर जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 19.08.2008 को प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से जवाबमय काउंटर वाद पेश किया कि दिनांक 22.06.2007 को प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में एवं सरकार के विरूद्ध धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 175–177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जो रेफरेन्स किया तथा श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने खारिज

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

कर दिया । इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 175–177 खारिज कर प्रतिवादी का काउंटर वाद स्वीकार कर प्रतिवादी कम 2 को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

12 वादी की ओर से पैरोकार सरकार ने पटवारी हल्का बोरदा के बयान कराये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रकरण में दिनांक 21.07.2009 को बहस पैराकार सरकार व वकील प्रतिवादीगण सुनी गई। नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी तहसील झालरापाटन संवत 2064–2067 से यह साबित होने पर आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का गैर खातेदार रघुनाथ आत्मज गोरधन, जाति चमार, निवासी दित्याखेडी है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की गैर खातेदारी की है तथा रिपोर्ट पटवारी एवं बयान पटवारी से यह पाया जाने पर कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी नम्बर 2 गिर्राज आत्मज किशन, जाति कुल्मी, निवासी दित्याखेडी में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.07.1975 को क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा आदिनांक तक केता का ही कब्जा है तथा उसके द्वारा काउंटर वाद दावे में पेश किया है। अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 2 गिर्राज की जाति कुल्मी होने सवर्ण जाति का होने व अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति के काबिज होने से धारा 42 बी का उल्लंघन पाये जाने ।

13 नकल जमाबंदी संवत 2024–2027 में खातेदार की जाति सैटलमेंट की गलती से लश्करी दर्ज करना पाये जाने व खातेदार की वास्तविक जाति बयान पटवारी तथा नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी संवत 2064–2067 से साबित होने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2009 में दावा वादी स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी कम 2 का काउंटर क्लेम खारिज किया जाकर ग्राम

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

दित्याखेडी तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा पर से प्रतिवादी कम 2 गिर्राज आत्मज किशन लाल कुल्मी निवासी दित्याखेडी को बेदखल कर आराजी कब्जा सरकार लिया जाकर बखाता सरकार सिवाय चक दर्ज करने का आदेश जारी किया गया।

14 उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादीकम 2 गिर्राज आत्मज किशन, जाति कुल्मी ने धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की। यह अपील अपील संख्या 157/2009 दिनांक 12.08.2009 को माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में दर्ज हुई।

15 जिस पर माननीय न्यायालय ने अपील पर दिनांक 22.04.2010 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.07.2009 अपास्त कर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रतिदावा के आधार पर अतिरिक्त तनकीयात कायम की जावे । साथ ही एक तनकी यह भी कायम की जावे कि "आया रघुनाथ पुत्र गोरधन जो वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है उसको आराजी विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं और एक गैर खातेदार द्वारा किये गये विक्रय का पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय पूर्व में कायम तनकीयात दिनांक 24.03.2007 के साथ उपरोक्त अतिरिक्त तनकीयात कायम कर इन समस्त तनकीयात का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

16 पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 10.06.2010 को पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। पैरोकार सरकार व प्रतिवादी कम 2 उपस्थित हुए। प्रतिवादी कम 1 को नोटिस जारी किया गया।

17 दिनांक 18.01.2011 को साक्ष्य वादी में पटवारी हल्का श्री कृष्ण गोपाल के बयान कराये गये। पैरोकार सरकार द्वारा और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना कथन करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई एवं साक्ष्य प्रतिवादी तलब की गई। दिनांक 15.03.2011 को साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी कम 2 गिर्राज उपस्थित हुआ। जिरह करवाई गई। वकील प्रतिवादी ने भी साक्ष्य बंद करवाई। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वादी व प्रतिवादी ने दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये हैं। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी ने इस हेतु अवसर चाहा। पैरोकार सरकार ने फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये, जिस पर पुनः साक्ष्य वादी तलब की गई। साक्ष्य वादी में पटवारी हल्का राधेश्याम पंकज उपस्थित हुआ। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। गवाह से जिरह करवाई गई और साक्ष्य वादी बंद की गई।

18 साक्ष्य प्रतिवादी में वकील प्रतिवादी ने दस्तावेज पेश कर प्रदर्श करवाना प्रारम्भ किया जिस पर पैराकार सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई कि प्रदर्श करवाये जा रहे समस्त दस्तावेज छायाप्रतियां हैं प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। प्रमाणित प्रतियां ही प्रदर्श कराई जा सकती है जिस पर बयान डेफर किये गए। प्रतिवादी कम 2 ने दिनांक 20.03.2012 को दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पेश कर प्रदर्श करवायी और साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा और साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

19 प्रकरण में दिनांक 04.09.2012 को बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई।

20 हमने प्रकरण में दिनांक 29.03.2007 को कायम की गई तनकीयात एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2010 के निर्देशानुसार अतिरिक्त तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई है –

21 **तनकी नम्बर 1** आया वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय कर धारा 42 आर टी एक्ट का उल्लंघन किया गया है इस कारण भूमि धारा 175–177 आर टी एक्ट के तहत सिवाय चक दर्ज होने योग्य है। .... वादी

22 **तनकी नम्बर 2** आया 175–177 की कार्यवाही फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर की गई है जो चलने योग्य नहीं है। ....प्रतिवादी

23 **तनकी नम्बर 3** आया वादग्रस्त भूमि के बाबत केता ने गलत तौर पर माननीय न्यायालय से दावा संख्या 907/97 में दिनांक 29.10.2002 को डिक्री प्राप्त की जिसका रेफरेन्स धारा 82 एल आर एक्ट के तहत ए डी एम कोर्ट में विचाराधीन है का वाद पर असर । ..... प्रतिवादी

24 **तनकी नम्बर 4** आया वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रार्थना पत्र 175–177 आर टी एक्ट पोषणीय नहीं है। ..... प्रतिवादी

25 **तनकी नम्बर 5** दादरसी

26 **अतिरिक्त तनकी नम्बर 1** आया रघुनाथ पुत्र गोरधन जो कि वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। उसे आराजी को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं और एक गैर खातेदार द्वारा किये गये विक्रय का पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पडेंगा। ..... प्रतिवादी नं. 2

27 **अतिरिक्त तनकी नम्बर 2** आया प्रतिवादी का प्रतिवाद सही होकर साबित है व मियाद के अन्दर है।

28 वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2056–2059 खाता नम्बर 158/154 प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी सम्वत 2064–2067 खतौनी संख्या 168/164 प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रति बयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 09.07.1975 प्रदर्श 03 पेश कर प्रदर्श करायी और मौखिक साक्ष्य में पटवारी हल्का श्री कृष्ण गोपाल शर्मा एवं राधेश्याम पंकज पटवारी को पेश कर बयान कराये गये । गवाहान से जिरह करवायी गयी।

29 साक्ष्य प्रतिवादी में दस्तावेजी साक्ष्य में, प्रदर्श एन 01 निर्णय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालवाड प्रदर्श एन 02, नकल निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड दिनांक 29. 10.2002 पेश कर प्रदर्श करवाये तथा मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी गिरिराज पेश हुआ जिससे जिरह करवायी गई।

30 हम दावे का निस्तारण इसमें कायम की गई तनकीयात का विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

31 **तनकी नम्बर 1** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने दावे में दस्तावेज प्रदर्श 3 रजिस्टर्ड विक्रय पर दिनांक 09.07.1975 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें प्रतिवादी कम 2

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

गिर्राज आत्मज किशन जाति कुल्मी निवासी दित्याखेडी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनाम क्रय कर दिनांक 09.07.1975 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया था। इससे यह साबित हो ताता है कि प्रतिवादी सं. 2 गिर्राज जाति से कुल्मी सवर्ण जाति का है तथा विक्रेता प्रतिवादी क्रम 1 नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार गैर खातेदार रघुनाथ आत्मज गोरधन की जाति चमार है जो अनुसूचित जाति में आता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके काश्त करना राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन करना है। वादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

32 **तनकी नम्बर 2** इस तनकी को प्रतिवादी नं. 1 को साबित करना था। प्रतिवादी ने उसके पेश जवाब में अंकित किया कि गिर्राज ने अपने प्रभाव का उपयोग कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है और उसका पंजीयन करवा लिया है। अप्रार्थी गरीब एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । प्रार्थी ने कभी भी प्रतिवादी क्रम 2 गिर्राज को विवादित आराजी का बेचान नहीं किया बल्कि गिर्राज ने जबरन विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि इसके खण्डन में वादी ने उस रजिस्टर्ड बयनामे की प्रमाणित प्रति पेश की है जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उप पंजीयक झालरापाटन के समक्ष पेश कर दोनों पक्षों द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। प्रतिवादी इस दस्तावेज को फर्जी साबित करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी साबित करने में असफल रहा है अतः इस तनकी को प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध तय किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

33 **तनकी नम्बर 3** इस तनकी को भी प्रतिवादी को ही साबित करना था, प्रतिवादी कम 2 ने उसकी ओर से पेश काउंटर क्लेम के पैरा नं. 3 में अंकित किया है कि वाद का निर्णय दिनांक 29.10.2002 को वादी गिर्राज आत्मज किशन कुल्मी के पक्ष में कर दिया एवं आदेश यह दिया गया कि प्रतिवादी रूघनाथ के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। जिसकी पालना के लिए इजराय प्रार्थना पत्र उसने पेश किया जिसकी पालना में तहसीलदार तहसील झालरापाटन ने इंतकाल नं. 248 दिनांक 29.10.2003 को खोला लेकिन नोट लगा दिया कि धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन हुआ है एवं धारा 175 आर टी एक्ट का उल्लंघन होने से रेफ्रेन्स जिला कलेक्टर महोदय को भेजा गया है।

34 सरकार द्वारा वादी के खिलाफ रेफ्रेन्स माननीय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां दर्ज करवाया गया तथा दिनांक 27.03.2006 को माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर झालावाड को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश देने का लिखा। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन 2 नकल निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड दिनांक 29.10.2002 एवं दस्तावेज प्रदर्श एन 1 नकल निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड दिनांक 22.06.2007 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिससे यह साबित है कि प्रतिवादी ने प्रदर्श N.2 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है ।

35 दस्तावेज एन 1 से यह साबित हो रहा है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 22.06.2007 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सरकार का कोई अधिकार का हनन हुआ है तो उसे सर्व प्रथम इस

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

आदेश की अपील करना चाहिए। इस राय के साथ रेफ्रेन्स खारिज किया गया है। प्रतिवादी कम 1 रघुनाथ ने उसके द्वारा जवाब दिनांक 29.03.2007 में खुद अंकित किया है कि अप्रार्थी रघुनाथ गरीब एवं चमार जाति का सदस्य है चूंकि रेफ्रेन्स माननीय ए डी एम कोर्ट से अपील की राय के साथ खारिज हो चुका है लेकिन प्रकरध में आर टी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन होना स्पष्ट होने के कारण व प्रतिवादी कम 2 द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर दिनांक 29.10.2002 को डिकी प्राप्त करना पाया जाता है। प्रकरण में धारा 175–177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के कारणस इस तनकी को प्रतिवादी के खिलाफ निर्णित किया जाता है।

36 **तनकी नम्बर 4** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी कम एक ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रकरण का रेफ्रेन्स माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय को अपने ही निर्णय के विरूद्ध उक्त कार्यवाही रेफ्रेन्स करने का अधिकार नहीं है। इस विवाद का जो भी निर्णय होगा वह माननीय ए डी एम झालावाड के यहां लम्बित रेफ्रेन्स में होगा।

37 माननीय न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफ्रेन्स भूमि धारक होने की हैसियत से प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होना पाये जाने पर तहसीलदार, तहसील झालरापाटन द्वारा माननीय न्यायालय ए डी एम साहब के समक्ष पेश किया है तथा भूमि धारक की हैसियत से ही प्रकरण में एक गैर खातेदार चमार अनुसूचित जाति के व्यक्ति रूघनाथ द्वारा उसके गैर खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 3.14 बीघा का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी कम 2 गिर्राज

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पाटीदार को बेचान कर कब्जा संभलाने के कारण मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 के प्रावधानों के तहत पाया जाने से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि से सवर्ण जाति के कब्जाधारी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा राज लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

38 प्रतिवादीगण के पास इसके विराध में कोई ठोस सबूत होना नहीं पाया जाता फिर किस प्रकार धारा 175–177 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है साबित नहीं होता । अतः इस तनकी को भी प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया है। अतः इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के खिलाफ किया जाता है।

39 **अतिरिक्त तनकी नं. 1** इस तनकी को प्रतिवादीगण को साबित करना था। वादी की ओर से दावे में पेश दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी संवत 2056–2059 तथा प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी संवत 2064–2067 की खतौनी सं. 168/164 में प्रतिवादी कम 1 रघुनाथ वल्द गोरधन चमार सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रति कम 1 रेकार्ड आफ राइट्स में गैर खातेदार अंकित है। एक गैर खातेदार को जिसे कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं मिले हो जमीन बेचने का अधिकारी कैसे हो सकता है। यानि कि प्रतिवादी नम्बर 1 को विवादित आराजी बेचान करने का अधिकार नहीं था। चूकि प्रतिवादी कम 1 रघुनाथ ने विवादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार रहते हुए बेचान किया है तथा प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा का बेचान व जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से हस्तान्तरण से किया है तथा कब्जा केता को दिया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

40 इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी कम 1 रूघनाथ ने विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा का गैर खातेदार रहते हुए विवादग्रस्त आराजी बेचने का अधिकारी नहीं होते हुए भी विवादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1975 को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रतिवादी कम 2 को जो कि जाति से पाटीदार है को बेचान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन किया है। इस अवैध बेचान से प्रतिवादी कम 1 को विवादग्रस्त भूमि के बेचान का अधिकार नहीं होने तथा प्रतिवादी नं. 2 गिर्राज आत्मज किशन लाल पाटीदार निवासी दित्याखेडी द्वारा प्रतिवादी कम 1 के गैर खातेदारी में दर्ज अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन खरीदने एवं कब्जा प्राप्त करने के कारण वादग्रस्त आराजी पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए कि विवादित आराजी पर उसे कानूनी रूप से कोई स्वत्व प्राप्त होते हैं। ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी सराक्ष्य पेश नहीं की है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है।

41 **अतिरिक्त तनकी नं. 2** इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का प्रतिवाद किस प्रकार सही तथा अन्दर मियाद है। यह प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर पाया है। प्रतिवादी को अनुसूचित जाति के गैर खातेदारी की जमीन खरीदने एवं कब्जा प्राप्त करने का कानून सम्मत कोई अधिकार नहीं बनता है इस कारण प्रतिवादी कम 2 के द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम द्वारा अनाधिकार से विवादित कृषि भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का क्लेम पेश किया है लेकिन कानूनन वह विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा भूमि पर खातेदार कृषक घोषित होने योग्य नहीं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पाया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के खिलाफ किया जाता है।

42 **दादरसी** उक्तमानुसार तनकीयात का विवेचन करने से तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा तनकी नम्बर 2, 3, 4, एवं अतिरिक्त तनकी नम्बर 1 व 2 का प्रतिवादीगण के पक्ष में हुआ है। इस कारण हम प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया जाना एवं दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

43 **कियात्मक आदेश** –प्रतिवादी नम्बर 2 का काउंटर वाद खारिज किया जाता है दावा वादी खिफ प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम दित्याखेडी तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सम्वत 2064–2067 की आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से प्रतिवादी नम्बर 2 गिर्राज आत्मज किशनलाल, जाति कुल्मी निवासी दित्याखेडी को बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजी को कब्जा सरकार में लिया जाकर खाता सरकार सिवाय चक दर्ज की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील झालरापाटन को पालना करने हेतु भिजवाई जावे।

44 **इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि** –अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

45 अपीलांट गिरराज द्वारा उपखण्ड अधिकारी झालावाड के यहां एक वाद धारा 88, 183, 188 राज. टी. ए. में पेश किया था तथा वाद इस आशय का पेश किया गया था कि खसरा नम्बर 516/17 रकबा 5

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बीघा हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा अभी भी रेस्पोडेंट नम्बर 2 रूघनाथ की गैर खातेदरी में दर्ज रेकार्ड है। इस विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त दिनांक 09.07.1975 खरीद तिथि 09.07.1975 से ही चला आ रहा है। रेस्पोडेंट नम्बर 2 रूघनाथ, जाति लश्करी है। अपीलांट गिरराज को उसके द्वारा खरीद की भूमि पर से बेदखल करना चाहता है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी झालावाड के न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 2 के विरूद्ध दावा पेश किया गया था जो दिनांक 29.10.2002 को अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया गया उस पर भी उपखण्ड अधिकारी, द्वारा ध्यान नहीं देकर निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है।

46 अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.10.2002 को दावा उपखण्ड अधिकारी द्वारा डिक्री किया गया था और आदेश दिया गया था कि रेस्पोडेंट कम 2 का खाते में से नाम हटा कर अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे, उस पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

47 दिनांक 15.10.2003 को अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया दिनांक 29.10.2002 के आदेश तथा इजराय की पालना दिनांक 17.12.2002 के आदेश अनुसार अपीलांट के खाते में दर्ज नाम कर रेकार्ड अलग कर अमल अलग किया जावे, उस पर भी ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

48 दिनांक 29.10.2002 को तहसीलदार झालरापाटन ने आदेश दिनांक 29.10.2002 की पालना करते हुए इंतकाल नं. 248 अपीलांट के खाते में विवादग्रस्त भूमि का इंतकाल खोल कर खाता अमल किया मगर खाते दर्ज कर उस पर नोट लगा दिया कि धारा 42 राज. टी. ए. एवं धारा 175 राज. टी. ए. का उल्लंघन होने से उक्त नामान्तरकरण को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रेफरेन्स श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाया गया उस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर भारी भूल की है।

49 दिनांक 22.06.2007 को अपीलांट के पक्ष में रेफरेन्स कर दिया गया तथा सरकार के खिलाफ रेफरेन्स खारिज कर कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का फैसला दिनांक 29.10.2002 को विधि सम्मत माना उस पर भी ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

50 विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय एस डी ओ, झालावाड़, न्यायालय जिला कलेक्टर, झालावाड़ के फैसले को भी नहीं मान कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

51 विवादित आराजी पर पूर्व में फैसला जिला उपखण्ड अधिकारी, झालावाड, एवं जिला कलेक्टर झालावाड के आदेश के बाद भी पुनः न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि पर सरकार के खाते दर्ज करने के आदेश देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

52 प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा सन् 2003 में पेश किया गया वो मियाद बाहर होने पर भी ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

53 वाद रेसज्यूडिकेटा के अन्तर्गत आता है उस पर भी ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

54 अधीनस्थ न्यायालय ने दौराने निर्णय कई कानूनी एवं प्रकियाओं की गलतियां की है जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

55 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.10.2012 निरस्त फरमाया जावे एवं आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम दित्याखेड़ी तहसील झालरापाटन अपीलांट के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

56 अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 5 एवं धारा 151 जा. दी0 बाबत स्थगन आदेश हेतू पेश कर निवेदन किया कि ता फैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय का फैसला जैर अपील दिनांक 04.10.2012 का कियान्वयन स्थगित रखा जावें एवं प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें एवं आराजी राज0 सरकार के खाते में नहीं बांधे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

57 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

58 अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 5 एवं धारा 151 जा. दी0 बाबत स्थगन आदेश पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 503/2010 निर्णय दिनांक 04.10.2012 उनवान सरकार बनाम रघुनाथ में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति/स्थगित रखी जाने बाबत् आदेश प्रदान किये गये।

59 पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम दित्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन का बेचान विकेता रघुनाथ आत्मज गोरधन, जाति

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

चमार गैर खातेदार द्वारा वादी गिरिराज आत्मज किशन, जाति कुल्मी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1975 को किया था तथा कब्जा केता को संभला दिया था। विक्रेता रघुनाथ के अनुसूचित वर्ग का होने के बावजूद भूमि का बेचान गैर अनुसूचित जाति (पाटीदार) को कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन किया है।

60 विशेष कथन– प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कम 2 रघुनाथ आत्मज गोरधन लश्करी (राजस्व रेकार्ड के अनुसार जाति चमार) निवासी दित्याखेड़ी ने अपनी गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 09.07.1975 को वादी गिरिराज आत्मज किशन कुल्मी, निवासी दित्याखेड़ी को कर दिया था। विवादित भूमि का जब बेचान किया तब विक्रेता प्रतिवादी कम 2 रघुनाथ गैर खातेदारी श्रेणी का कृषक था। इस प्रकार गैर खातेदारी श्रेणी का कृषक रहते हुए वादग्रस्त आराजी को बेचने का अधिकार ना होते हुए भी वादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। सलंग्न रेकार्ड के अवलोकन से यह भी साबित होता है कि बेचान के समय विक्रेता की जाति राजस्व रेकार्ड में "चमार" ही दर्ज थी जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, जबकि क्रेता वादी गिरिराज की जाति कुल्मी (पाटीदार) है जो अनुसूचित जाति वर्ग से भिन्न अन्य श्रेणी में आती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी का कब्जा राज हक में लिया जाकर खाता सरकार (सिवायचक) दर्ज किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

61 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

62 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी संवत 2056–2059 तथा प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी ग्राम दित्याखेडी संवत 2064–2067 की खतौनी सं. 168/164 में रघुनाथ वल्द गोरधन चमार सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि रघुनाथ रेकार्ड आफ राइट्स में गैर खातेदार अंकित है। एक गैर खातेदार को जिसे कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने पर वादग्रस्त आराजी बेचने का अधिकारी नहीं है। चूंकि रघुनाथ ने वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार रहते हुए बेचान किया है तथा गिर्राज के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से हस्तान्तरण से किया है तथा कब्जा क्रेता को दिया है। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि रघुनाथ ने विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा का गैर खातेदार रहते हुए विवादग्रस्त आराजी बेचने का अधिकारी नहीं होते हुए भी विवादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1975 को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति गिर्राज को किया है जो कि जाति से पाटीदार है, को किया गया बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। इस अवैध बेचान से रघुनाथ को विवादग्रस्त भूमि के बेचान का अधिकार नहीं होने तथा गिर्राज आत्मज किशन लाल पाटीदार, निवासी दित्याखेडी द्वारा रघुनाथ के गैर खातेदारी में दर्ज अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन खरीदने एवं कब्जा प्राप्त करने के कारण वादग्रस्त आराजी पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

63 प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कम 2 रघुनाथ आत्मज गोरधन लश्करी (राजस्व रेकार्ड के अनुसार जाति चमार) निवासी दित्याखेड़ी ने अपनी गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 3.14 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 09.07.1975 को वादी गिरिराज आत्मज किशन कुल्मी, निवासी दित्याखेड़ी को कर दिया था। विवादित भूमि का जब बेचान किया तब विक्रेता प्रतिवादी कम 2 रघुनाथ गैर खातेदारी श्रेणी का कृषक था। इस प्रकार गैर खातेदारी श्रेणी का कृषक रहते हुए वादग्रस्त आराजी को बेचने का अधिकार ना होते हुए भी वादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। सलंग्न रेकार्ड के अवलोकन से यह भी साबित होता है कि बेचान के समय विक्रेता की जाति राजस्व रेकार्ड में "चमार" ही दर्ज थी जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, जबकि क्रेता वादी गिरिराज की जाति कुल्मी (पाटीदार) है जो अनुसूचित जाति वर्ग से भिन्न अन्य श्रेणी में आती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी का कब्जा राज हक में लिया जाकर खाता सरकार (सिवायचक) दर्ज किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

64 अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

65 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2012 यथावत रखा जाता है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

66 निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा